मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय 1961

क्रमांक/AGR/18/0016/2024-Sec-2-14(389490)/ भोपाल, दिनांक 16/12/2024

प्रति,

1. संभागायुक्त,
   संभाग .... समस्त
2. कलेक्टर्स,
   जिला .... समस्त

विषय- कृषि उपज मण्डी समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/निलंबन के संबंध में।

संदर्भ:- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, का पत्र क्रमांक/ डी-15/62/18/14-3 दिनांक 04 अक्टूबर 2018

शासन की कई योजनाएं जिला कलेक्टर के नियंत्रण में शासकीय एजेंसियों और कृषि उपज मण्डी समितियों के स्तर पर संचालित होती है। इन योजनाओं में मण्डी प्रांगण अन्तर्गत चयनित कृषि उपज के विक्रय संव्यवहारों की पोर्टल पर प्रविष्टि, सत्यापन, मण्डी शुल्क अपवचंन एवं अवैध व्यापार पर नियंत्रण आदि के लिए सामान्यतः मण्डी सचिव को अधिकृत किया जाता है, जिसमें कुछ एक प्रकरणों में मण्डी सचिवों को कर्तव्य में उदासीनता बरतने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निलंबित किया जाता है। ऐसे प्रकरण न्यायालय में प्रश्नागत होने पर शासन के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होती है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के अन्तर्गत म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड एक निगमित निकाय है, जिसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलो एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के निराकरण हेतु राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 प्रभावशील है। मण्डी समिति के सचिव, मण्डी निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सदस्य है। इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियुक्ति/अनुशासिक अधिकारी प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड है। इसलिए मण्डी कर्मचारी म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अधीन नियंत्रित नहीं होते है।

उपरोक्त विषय में म.प्र. शासन, विधि विभाग द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है-

"प्रशासकीय विभाग को इस विभाग में अभिमत से अवगत कराया जाता है कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट पिटीशन नं. 2170/1996 में पारित

आदेश दिनांक 16.07.1998 में यह विधि प्रतिपादित की गई है कि उपरोक्त परिपत्रों एवं अधिसूचना से कलेक्टरों एवं आयुक्त को जो अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है वे उन अधिकारियों के संबंध में है जो म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 से नियंत्रित होते है। मण्डी सचिव उक्त नियम से नियंत्रित नहीं है इसलिये कलेक्टर को मण्डी सचिव को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। उक्त न्याय सिद्धांत के आलोक में कलेक्टर एवं आयुक्त को म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.1996, अधिसूचना दिनांक 13.08.1997 एवं ज्ञापन दिनांक 20.10.2008 से प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग में मण्डी सचिव को निलम्बित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है।"

साथ ही मण्डी सचिवों को जिले के भीतर स्थानांतरण करने के अधिकार भी कलेक्टरों को नही दिये गये है।

अतः मध्यप्रदेश शासन विधि विभाग के अभिमत अनुसार भविष्य में मण्डी समितियों के सचिव, मण्डी निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा निलंबित करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो तत्संबंध में संभागआयुक्त अथवा जिला कलेक्टर द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु विधिवत प्रस्ताव प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की भेजा जाना सुनिश्चित करें।

(एम. सेलवेन्द्रन)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक/AGR/18/0016/2024-Sec-2-14(389490)/1962 भोपाल, दिनांक 16/12/2024
प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग